

//पुलिस सेल्फ केयर टीम नियमावली//

सेवा परमो धर्म:

पुलिस सेल्फ केयर टीम की स्थापना दिनांक 25.12.23 को पुलिस का, पुलिस के लिये, पुलिस के द्वारा सहयोग हेतु बनाई गयी म0प्र0 पुलिस की पहली टीम है। पुलिस सेल्फ केयर टीम से जुड़ने के लिए पुलिस के आरक्षक/प्रधान आरक्षक स्वेच्छा से समस्त नियम एवं शर्तों से सहमति के उपरांत पुलिस सेल्फ केयर टीम एप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं। आगामी समय में पुलिस सेल्फ केयर टीम की वेबसाइट बनाना भी प्रस्तावित है।

पुलिस सेल्फ केयर टीम से जुड़ने हेतु किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता है। पुलिस सेल्फ केयर में सदस्यता पूरी तरह निःशुल्क है। किसी भी पुलिसकर्मी को बाध्य करके पुलिस सेल्फ केयर टीम से नहीं जोड़ा जाता बल्कि पुलिसकर्मी स्वेच्छा से जुड़ते हैं।

पुलिस सेल्फ केयर टीम का संचालन पुलिस सेल्फ केयर समिति (रजि0नं0-आगामी समय में प्रस्तावित) करती है।

मुख्य नियम (सदस्यो हेतु)

01. पुलिस सेल्फ केयर टीम का निर्माण पुलिस कर्मचारियों के साथ होने वाली अकस्मात घटना से पीड़ित परिवार की मदद के लिये किया गया है। हमारा प्रयास है कि इस टीम से अधिक से अधिक सदस्य जुड़ें एवं हमारे पुलिस परिवार को अधिक से अधिक सहयोग दें।
02. पुलिस सेल्फ केयर टीम से जुड़ने हेतु आवश्यक सूचना संबंधी फार्म भरकर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है, साथ ही PSCT का टेलीग्राम पर आधिकारिक ग्रुप बनाया गया है, जिस पर समय-समय पर सहयोग या नियम या अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती रहती हैं। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने संबंधी पोल या विचार सुझाव आदि के दृष्टिगत ग्रुप के सदस्यों को भी विचार रखने और पोल में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। यही कारण है कि PSCT का सदस्य बनने के साथ ही महत्वपूर्ण सूचनाओं से अपडेट रहने हेतु टेलीग्राम ग्रुप को सप्ताह में कम से कम 2 बार देखने और अपडेट रहने की भी बाध्यता रखी गयी है। कोई भी सदस्य अगर टेलीग्राम ग्रुप नियमतः नहीं देखता और संबंधित सूचनाएं यदि नहीं प्राप्त कर पाता तो संबंधित पुलिसकर्मी स्वयं जिम्मेदार होगा। फिर भी प्रयास किया जाता है कि अन्य सोशल मिडिया प्लेटफार्म तथा जिला टीम के माध्यम से भी आवश्यक सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। PSCT का प्रथम दिवस से नियम है, जो सहयोग करेगा, उसे ही सहयोग मिलेगा। PSCT में प्रथम दिवस से सदस्यता पूरी तरह निःशुल्क है। टीम से जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। केवल दिवंगत सदस्यों के परिवार को सहयोग ही भेजना जरूरी होता है।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

03. PSCT द्वारा हेल्पलाइन नंबर सदस्यों की सुविधा हेतु आगामी समय में जारी किया जायेगा, जिस पर कॉल, व्हाट्सएप्प के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है। कोई भी सदस्य इस नम्बर पर कॉल या मैसेज करके सूचना दे/ले सकता है।

04. PSCT के निर्माण दिवस से ही यह नियम किया गया है कि सभी को हर सहयोग करना अनिवार्य होगा। जो सहयोग करेगा, उसी को सहयोग मिलेगा। नियमों के दुरुपयोग होने की संभावना के दृष्टिगत 15 दिन का लॉक इन पीरियड दिनांक निर्माण दिवस से घोषित किया गया। (यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

04.(A) 15 दिन के लॉक इन पीरियड से तात्पर्य यह है कि यदि कोई पुलिसकर्मी 01 जनवरी को रजिस्ट्रेशन किया, तो यदि उसकी मृत्यु 15 जनवरी की रात 12 बजे तक हो जाती है, तो उसे सहयोग नहीं किया जायेगा। साथ ही एक जनवरी से 15 जनवरी तक कोई सहयोग चलता है, तो उसका सहयोग करना भी बाध्यकारी नहीं होगा। मानवता भाव से चाहे तो वह सहयोग कर सकता है, लेकिन उस सहयोग के बदले लॉक इन पीरियड के दौरान मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी द्वारा सहयोग का दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसे सदस्य की मृत्यु सदस्य बनने के 16वें दिन हो जाती है या लॉक इन पीरियड के बाद उसे सहयोग करने में अवसर मिले बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे PSCT द्वारा सहयोग किया जायेगा क्योंकि उसे सहयोग करने का अवसर नहीं मिला तो उसकी सहयोग करने की निष्ठा को गलत नहीं माना जा सकता। इसलिए उसका सहयोग किये जाने का प्रावधान होगा।

04.(B) निकट भविष्य में कोर टीम एवं जिला इकाई की मांग पर और समूहों में रैपिड सर्वे के आधार पर और परिस्थितियों को देखते हुए लॉक इन पीरियड 15 दिन से बढ़ाकर 30/60/90 दिन का किया जा सकता है।

04.(C) गम्भीर बीमारी की स्थिति में लॉक इन पीरियड 1 वर्ष का होगा। यदि किसी सदस्य द्वारा रजिस्ट्रेशन करते समय या बाद में किसी गम्भीर बीमारी के हो जाने पर अपनी प्रोफाइल में दर्ज/अपडेट नहीं करता है तो तथ्यगोपन की श्रेणी में मानते हुए उसका सहयोग किया जाना सम्भव नहीं होगा। गम्भीर बीमारियों की श्रेणी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सूचीबद्ध की गई बीमारियों से मान्य होगी। सभी सदस्यों को रजिस्ट्रेशन हेतु आगामी समय में एक फार्म टेलीग्राम/व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी किया जायेगा।

04.(C-1) गंभीर बीमारी के मामले में टीम अपेक्षा करती है कि सभी सदस्य अपनी बीमारी अपनी प्रोफाइल में अपडेट करेंगे। अगर किसी कारण से अपडेट नहीं है तो इसका निर्धारण मृत्यु के कारण के आधार पर किया जाएगा, अगर मृत्यु का कारण बीमारी है तो उसे बीमारी में शामिल किया जाएगा, भले ही प्रोफाइल के प्रदर्शित न किया गया हो। साथ ही PSCT से जुड़ते समय बीमारी की जानकारी थी या नहीं थी यह टीम का विषय नहीं होगा, ऐसे मामलों में मृत्यु के कारण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

उदाहरण- अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब है और वो PSCT से जुड़ता है तो उसके लिए लॉकिंग पीरियड 1 वर्ष का ही होगा। माना की जुड़ने के 6 माह बाद उसकी मृत्यु होती है तो वो अवैधानिक होगा, किंतु अगर उसकी मृत्यु मार्ग दुर्घटना के हुई हो तो उसे वैधानिक माना जायेगा क्योंकि मृत्यु बीमारी से न होकर मार्ग दुर्घटना से हुई है।

नोट- गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अगर मृत्यु का कारण और कुछ दर्शाया जाता है तो उसके पुख्ता प्रमाण देने होंगे। अगर टीम उस प्रमाण से संतुष्ट होगी तो ही माना जायेगा अन्यथा बीमारी ही माना जायेगा। इस तरह के मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से टीम के पास होगा।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

04.(D) PSCT कोर टीम सहयोग के आह्वान हेतु अपने स्वविवेक का भी इस्तेमाल करके निर्णय लेने को भी स्वतंत्र होगी, वैधानिकता या किसी भी प्रकार के मामलों में जहां उचित समझेगी, अपने स्तर से परीक्षण करने को स्वतंत्र होगी। कोई भी सदस्य/नॉमिनी सहयोग प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा/अधिकार नहीं कर सकेगा, बल्कि संस्था नैतिकरूप से सहयोग करवाने का प्रयास करेगी।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

04.(E) PSCT दिवंगत सदस्यों के एक से अधिक नॉमिनी होने की स्थिति में दूसरे नॉमिनी को सहयोग सुनिश्चित करने हेतु स्वविवेक एवं स्वतः हस्तक्षेप करने को स्वतंत्र होगी, जिस पर लाभार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कानूनी या गैर कानूनी कदम नहीं उठाया जा सकेगा। लाभार्थी या उसके परिवार द्वारा संस्था के प्रति मिथ्या आरोप लगाने/भ्रम फैलाने /दुष्प्रचार करने या दुर्व्यवहार करने पर सहयोग की गई राशि वापस करवाकर किसी अन्य दिवंगत परिवार को हस्तांतरित करवाने का अधिकार रखती है। ऐसे मामलों में टीम कानूनी कार्यवाही भी करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

04.(F) सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी पुलिसकर्मी द्वारा गलती से अधिक राशि किसी सहयोग हो रहे/हो चुके नॉमिनी के खाते में भेज दी जाय तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वो धनराशि उस पुलिसकर्मी/सदस्य के खाते में वापस करना पड़ेगा। इस हेतु प्रदेश टीम गारंटी नहीं ले सकेगी किंतु नियमानुसार गलती से भेजी गई धनराशि को वापस करवाने हेतु सार्थक और पूर्ण प्रयास करेगी।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

05. वर्तमान समय में सहयोग प्राप्त करने हेतु सभी के लिये सहयोग करना अनिवार्य है। सदस्य बनने के बाद लॉक इन पीरियड की अवधि के उपरांत समस्त सहयोग करने के बाद नियमतः जारी वेबसाइट/गूगल फॉर्म भरते हुए रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा। बिना सहयोग किये या सहयोग करने के बाद गूगल फॉर्म न भर पाने की स्थिति में सहयोग प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं माना जा सकेगा। क्योंकि वैधानिकता की पुष्टि हेतु सहयोग के बाद फॉर्म भरना अनिवार्य है।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

06. यदि किसी पुलिसकर्मी द्वारा सदस्य बनने के बाद सहयोग नहीं किया गया या बीच में किसी का सहयोग नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में वह वैधानिक सदस्य नहीं होगा। ऐसे सदस्य निम्नलिखित नियमों के तहत अपनी वैधानिकता सक्रिय कर सकेंगे-

6(A). ऐसे सदस्य जो जुड़ने के उपरांत लगातार सहयोग करते आ रहे हैं, अगर 10 सहयोग से पहले (यानी 90% वाली छूट से पूर्व) कोई सहयोग ब्रेक होता है, तो वैधानिकता समाप्त हो जाएगी, किंतु एक बार वैधानिकता समाप्त होने पर लगातार 03 सहयोग करके सदस्यता पुनः बहाल की जा सकेगी। 3 सहयोग पूरा होने तक वह सदस्य सहयोग प्राप्त करने हेतु वैध नहीं होगा, 3 सहयोग पूरा करते ही वह वैधानिक सदस्य हो जाएगा। लेकिन यह 01 सदस्य को केवल 01 ही बार ऐसा अवसर दिया जायेगा। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि बीच में केवल 2 सहयोग ही अधिकतम ब्रेक हुआ हो। इससे अधिक सहयोग ब्रेक होने की दशा में नियम 6 (B) लागू होगा। सदस्य द्वारा 10 सहयोग कर देने पर 90% वाला नियम प्रभावी होगा, साथ ही 90% के नियमों के अतिरिक्त ब्रेक होने की स्थिति में नियम 6(A) और 6(B) परिस्थितियों के अनुसार लागू होगा।

6(B). रजिस्ट्रेशन करने के बाद सहयोग न करने वाले सदस्य यदि स्वतः क्रियाशील होकर वैधानिक सदस्य बनकर सहयोग करने की स्थिति में एवं बीच में 02 से अधिक सहयोग ब्रेक होने की स्थिति में, 05 सहयोग करने के बाद ही सदस्यता बहाल मानी जायेगी, जब तक 05 सहयोग नहीं किये जाते, बीच में मृत्यु होने की स्थिति में वह सदस्य अवैधानिक होगा और सहयोग नहीं प्राप्त कर सकेगा। कोर टीम की विशेष संस्तुति पर लगातार 05 सहयोग करने पर ही सदस्यता बहाल की जा सकेगी। ऐसे मामले में 03 माह का लॉक इन पीरियड भी लागू होगा। (यह जरूरी नहीं की 3 माह का लॉक इन पीरियड पूरा होने तक 5 सहयोग करने का अवसर आये, 03 माह के लॉक इन पीरियड पूरा करने के बाद 5 सहयोग पूरा करना अनिवार्य होगा।)

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

6(C). जो सदस्य किसी कारण से सहयोग नहीं कर पाए, उनको हमेशा के लिए निकालने से अच्छा एक मौका देना है। यदि कोई नया रजिस्ट्रेशन करता है, तब भी लॉकिंग पीरियड होती है। उसी प्रकार जो अब तक सहयोग नहीं किया है और अब सहयोग करना चाह रहे हैं तो लगातार 05 सहयोग और उनके लिए 03 माह का लॉकिंग पीरियड होगा। (यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

6(D). अगर कोई सदस्य वर्ष में एक बार सहयोग छोड़ देता है तो वह 3 माह का लॉकिंग पीरियड तथा उस बीच के समस्त सहयोग पूरा करके पुनः वैधानिक हो सकता है।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

6(E). अगर कोई सदस्य एक वर्ष के अंतराल में ही 2 या 2 से अधिक बार सहयोग छोड़ता है तो उसे वैधानिक होने के लिए 5 माह का लॉकिंग पीरियड तथा उस बीच के समस्त सहयोग पूर्ण करने होंगे।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

6(F). अगर कोई सदस्य रजिस्ट्रेशन करके या रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ सहयोग करके 6 माह या उससे अधिक माह के लिए सहयोग छोड़ देता है तो उसे वैधानिक बनने के लिए 5 माह का लॉकिंग पीरियड तथा उस बीच के समस्त सहयोग पूर्ण करने होंगे।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

6(G). किसी अन्य व्यस्तता, पारिवारिक व्यस्तता, समारोह, कार्यक्रम आदि अन्य स्थितियों स्वयं या पारिवारिक आदि की स्थिति में सहयोग छूट जाने की दशा में दावा मान्य नहीं होगा, इस हेतु क्रमिक सहयोग करके वैधानिकता बहाल करने की व्यवस्था/10 सहयोग के बाद

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

07. कम से कम 10 सहयोग हो जाने के बाद यह देखा जा सकेगा कि किसी सदस्य ने 90% अवसरों पर यानी 10 में से 09 बार कम से कम यदि सहयोग किया है, तो उसे किसी 01 का सहयोग न कर पाने के कारण उसकी सदस्यता न तो निलंबित होगी, न ही उसे सहयोग से इंकार किया जायेगा। बशर्ते सहयोग न कर पाने का वाजिब संतोषजनक कारण हो। इस प्रकार की छूट सहयोगों की कुल संख्या बढ़ने यानी 10 बार, 20बार, 50बार के साथ साथ विचाराधीन रहेगी और उसके सहयोग के प्रतिशत में 80% से 90% तक विचार किया जा सकेगा। लेकिन 10 सहयोग के बाद ही 90% का नियम अगले संशोधन तक लागू माना जायेगा। 10 सहयोग से पहले 90% अवसरों पर सहयोग के नियम को नहीं माना जायेगा। तब तक समस्त सहयोग करना अनिवार्य होगा।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

90% सहयोग की व्याख्या- अगर किसी ऐसे सदस्य की मृत्यु होती है, जो की टीम से लंबे समय से जुड़ा था किंतु कुछ सहयोग के कारण अवैधानिक हो रहा है तो उस समय देखा जायेगा की मृत्यु की तिथि से 2 वर्ष पूर्व के बीच हुए कुल सहयोग का अगर 90% सहयोग किया है तो उसे 90% सहयोग के दायरे के वैधानिक मानते हुए सहयोग किया जाएगा।

7(A) किसी पुलिसकर्मी के सदस्य बनने के 10 सहयोग पूरे करने के उपरांत प्रति वर्ष अपरिहार्य स्थिति में 01 सहयोग न कर पाने की की दशा में केवल 01 छूट दी जा सकेगी, लेकिन पूर्व में उसके द्वारा सदस्य बनने के बाद 10 सहयोग किया गया हो।

7(B). यदि कोई पुलिसकर्मी/सदस्य पूर्व में सभी सहयोग कर रहा था और वैधानिक सदस्य था, किंतु गतिमान सहयोग के दौरान (सहयोग शुरू होने की तिथि से सहयोग खत्म होने तक) सहयोग तिथि समाप्त होने से पूर्व सहयोग नहीं किया रहता और उसी दौरान उसकी दुःखद मृत्यु हो जाती है तो वह लाभ का पात्र माना जायेगा क्योंकि यह माना जायेगा कि वह जीवित होते तो पूर्व की भाँति सहयोग करते। किंतु अगर सहयोग समाप्त हो जाने के बाद मृत्यु होती है तो गतिमान सहयोग की छूट का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। जैसे- सहयोग शुरू होने के पूर्व या शुरू होने के दिन या गतिमान सहयोग के दौरान कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवार को सहयोग किया जा सकेगा। यहां पर यह भी देखा जाएगा कि उस स्थिति में गतिमान सहयोग पूर्ण गया, उस स्थिति में सहयोग करना जरूरी होगा। सहयोग समाप्त हो जाने के बाद मृत्यु होने की स्थिति में सहयोग नहीं दिया जा सकेगा।

यह नियम सिर्फ पुलिसकर्मी के स्वयं के अपरिहार्य हालात जैसे गम्भीर दुर्घटना/ बीमारी/अस्पताल में होने की स्थिति में ही मान्य होगा।

08. सुसाइड या किसी विवादित केस या अन्य केस जो संज्ञान लेने लायक हो, में कोर टीम के पास पड़ताल करके वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद निर्णय लेने का अधिकार होगा। आवश्यकता पड़ने पर वोटिंग या जिला इकाई या सदस्यों की राय भी ली जा सकेगी।

8(A) वस्तुतः एक से अधिक पुलिसकर्मी/सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु की तिथि के क्रम में ही सहयोग किया जाएगा। किंतु यदि किन्हीं दो या अधिक पुलिसकर्मी की मृत्यु एक ही तिथि में होती है तो ऐसी स्थिति में उस पुलिसकर्मी का सहयोग पहले किया जाएगा जिसके सहयोग करने का प्रतिशत/एवरेज अधिक होगा। उसके बाद अन्य का। उपरोक्त प्रकरणों में किसी विशेष परिस्थिति जैसे स्थलीय निरीक्षण न हो पाना, कुछ तकनीकी कमी आदि मामलों में कोर टीम सहयोग के क्रम का निर्णय अपने विवेकानुसार ले सकेगी।

8(B) नॉमिनी सम्बन्धी विवाद की स्थिति में प्रदेश/कोर टीम परीक्षणोपरांत निर्णय लेने और सहयोग करवाने हेतु स्वतंत्र होगी।

09. उपरोक्त नियमों से इतर हटकर न किसी का सहयोग किया जा सकेगा, न ही किसी का सहयोग रद्द किया जा सकेगा।

9(A) अनुशासन हीनता, PSCT विरोधी गतिविधि या किसी प्रकार की साजिश करने वालों के विरुद्ध PSCT कोर टीम के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा। कोई भी पुलिसकर्मी PSCT के साथ-साथ अन्य समान प्रकार के संघों/टीम में सदस्य के रूप में रह सकता है, किंतु किसी अन्य सम विषयक टीम के पदाधिकारी के रूप में कोई पुलिसकर्मी PSCT का वैध मेम्बर प्रथम दृष्टया नहीं होगा (इस प्रकरण पर कोर टीम निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगी) कोई भी व्यक्ति/पुलिसकर्मी या अन्य पुलिस सेल्फ केयर टीम/समिति के खिलाफ दुष्प्रचार या अफवाह फैलाता है, बिना सबूत या आंकड़े प्रस्तुत किये आरोप लगाता है तो टीम उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

9(B) टेलीग्राम ग्रुप पर जानकारी हेतु समस्त सूचनाएं समय-समय से प्रदान की जाती हैं। कोई सदस्य टेलीग्राम ग्रुप से सूचनाएं नहीं प्राप्त करता तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

9(C) सदस्य हेल्पलाइन (आगामी समय में नंबर जारी किया जायेगा) के माध्यम से अपना सवाल जवाब प्राप्त कर सकेंगे।

9(D) समय और आवश्यकता को देखते हुए PSCT के किसी भी नियमों में कभी भी संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

9(E) PSCT सहयोग सीधे दिवंगत परिवारों के नॉमिनी के खाते में करवाती है इसलिए किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

10. PSCT किसी भी पुलिसकर्मी को जबरन या दबाव देकर सदस्य नहीं बनाती है, सदस्यों को नियम स्वीकार करके ही सदस्य बनने का विकल्प प्रदान किया जाता है, स्वेच्छा से कोई भी सदस्य कभी भी खुद को अलग कर सकता है।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

11. PSCT से जुड़ने हेतु कोई भी सदस्यता शुल्क नहीं है, कोई भी पुलिसकर्मी नियम एवं शर्तों से सहमत होकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करके सदस्य बन सकता है और सहयोग कर सकता है। सहयोग पाने हेतु उपरोक्त नियमों के तहत ही दावेदारी होगी।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

12. PSCT का सदस्य बनने के साथ ही PSCT के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य होगा क्योंकि सभी आधिकारिक सूचनाएं टेलीग्राम ग्रुप पर ही दी जाएंगी। सुविधाओं को दृष्टिगत सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भी सूचनाएं देने का प्रयास किया जायेगा, लेकिन यह किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

13. सहयोग के दौरान कूटरचित/फर्जी रसीद या नियमों के विपरीत कार्य करने वाले सदस्यों के बारे में कोर टीम निर्णय लेने की अधिकारी होगी। ऐसे सदस्यों की वैधानिकता भी समाप्त की जा सकेगी और लाभ से भी वंचित किया जा सकेगा।

(यह नियम स्थापना दिवस से ही लागू रहेगा।)

14. व्यवस्था शुल्क यह अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। जो सदस्य चाहे वो समिति के खाते में मात्र 50/- वार्षिक जमा करके निम्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्था शुल्क का हिसाब समय-समय पर समिति द्वारा दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त समिति सभी सदस्यों को व्यवस्था शुल्क हेतु आयी राशि से निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगी-

- 1) वेबसाइट के निर्माण और संचालन में
- 2) ऐप बनवाने और संचालन में
- 3) एक आफिस और एक टेक्निकल सपोर्ट रखने में जो आपको तकनीकी मदद देगा।
- 4) स्थलीय निरीक्षण करने में।
- 5) PSCT से ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मी को जोड़ने के अभियान में।
- 6) समय-समय पर नई तकनीकी का इस्तेमाल में ताकि प्रक्रिया पारदर्शी के साथ-साथ आसान बन सके।

(भविष्य में जरूरतों को देखते हुए नियमों में परिवर्तन का अधिकार पुलिस सेल्फ केयर टीम के पास होगा, विवादास्पद स्थिति में कोर टीम के पास निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।)

किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।

Note- सदस्यों द्वारा अपना सहयोग सीधा मृतक पुलिसकर्मी के नॉमिनी को दिया जाता है अतः आपके द्वारा दिए गए सहयोग के बदले सहयोग प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा, यह पूरी तरह सदस्यों की मर्जी पर निर्भर रहेगा, टीम द्वारा अपील करने पर सहयोग कम ज्यादा आने पर या ना आने की दशा में टीम जिम्मेदार नहीं होगी। क्योंकि टीम सिर्फ सहयोग की अपील करती है है। अतः किसी तरह की देनदारी के लिए कानूनी अधिकार मान्य नहीं होगा। कोई तथ्य छुपा कर या बिना पात्रता पूरी किए जुड़ जाता है और सहयोग कर देता है तो उसका दावा मान्य नहीं होगा।

अगर PSCT से जुड़ा कोई सदस्य किसी अन्य सम विषयक टीम का प्रचार प्रसार करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। टीम के किसी भी पदाधिकारी के साथ अभद्रता, डराने, धमकाने वाले की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी

आपका अनुज

दीपक साहू,

एस0डी0ओ0पी0 कार्यालय नौगाँव,

जिला-छतरपुर (म0प्र0), मो0नं0-7000543729,9479991069

संस्थापक,

पुलिस सेल्फ केयर टीम

(मध्यप्रदेश)

🙏 PSCT- आज का सहयोग, कल का सहारा 🙏